संख्याः 2566 /33-3-2010-142/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2010

विषयः13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान के उपभोग हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2010-11 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11011/3/2010/PRJ दिनांक 23 जुलाई, 2010 एवं वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांकः 12(2)/एफसीडी/2010 दिनांक 23 सितम्बर, 2010 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि राज्य सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रथम किश्त की आवंटित धनराशि का उपभोग आयोग की संस्तुतियों के प्रस्तर-10.141 से 10.167 में की गयी संस्तुति के अनुसार किया जायेगा।

2- निम्नलिखित प्रमुख शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय/उपभोग सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1)- 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित प्रथम किश्त की धनराशि पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं जैसे- पेयजल सुविधा, सीवेज व्यवस्था, सॉलिड लिक्वड वेस्ट मैनेजमेन्ट और स्ट्रीट लाइट, मार्ग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं आदि के रखरखाव/अनुरक्षण पर उपभोग की जायेगी।

(2)- पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग से यह अनुरोध किया गया कि आयोग इन पंचायतीराज संस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से आर्थिक सहायता प्रदान करें, जिससे कि वे अपने घटकों को प्रभावशीलता के साथ मूलभूत सेवायें उपलब्ध करा सकें। उक्त के दृष्टिगत आवंटित धनराशि से स्वच्छता सुविधायें तथा सभी के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु पुरानी जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्वास एवं नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(3)- पंचायतीराज संस्थाएँ अपने कर राजस्व एवं राजस्व के अन्य स्रोतों यथा केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त अपने संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए राजस्व के वर्तमान स्तर से उच्चतर स्तर प्राप्त करेंगी।

(4)– 13वें वित्त आयोग के अनुदान के दो घटक होंगेः–

(i)– बुनियादी अनुदान (Basic Component)– सभी स्थानीय निकाय वर्ष 2010–11 से अगले 05 वर्षो तक इस सहायता धनराशि के सभी मानकों (Criteria) को पूर्ण करते हुए प्राप्त कर सकेंगे।

(ii)–सामान्य निष्पादन अनुदान (Performance Based Component)– इस धनराशि को सभी पंचायतीराज संस्थायें निर्धारित मानकों की पूर्ति के उपरान्त प्राप्त कर सकेंगी।

(5)– 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान की धनराशि प्रतिवर्ष दो किश्तों में जनवरी तथा जुलाई में अवमुक्त की जाएगी। इसके लिए द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व आवश्यक शर्ते निम्नानुसार होंगीः–

(i)– पंचायतीराज संस्थाओं को दी जाने वाली आगामी किश्त का पूर्ण विवरण

(ii)– पूर्व में दी गई सभी स्तरों की धनराशि का पूर्ण विवरण।

(iii)–धनराशि का जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर खर्च का प्रतिशत

(iv)– पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा जलापूर्ति योजनाओं पर आवर्ती रूप से खर्च की जाने वाली धनराशि की पुनर्वापसी का विवरण

(v)– पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा लेखा, सी0ए0जी0 द्वारा निर्धारित 08 प्रपत्रों पर ही तैयार किया जाय। यह प्रपत्र 01 अप्रैल, 2010 तक लागू किये गये है

(vi)– पंचायतीराज संस्थाओ के लिए 2011–12 से पूकर रूप में आय–व्ययक डाक्यूमेण्ट तैयार करते हुए उसके अनुसार आय–व्ययक प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जायेगा

(vii)–जारी किश्त का उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी

(6)– केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर सम्बन्धित पंचायतों के खाते में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर पद्धति से धनराशि हस्तान्तरित की जानी है, जहॉ इस तर की बैंकिग सुविधा न हो वहाँ 10 दिवस की अवधि के अन्दर धनराशि पंचायतों के खातों में जमा करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।

(7)– ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना का पूर्वानुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

(8)– समस्त जिला पंचायतें निर्माण कार्य नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके धनराशि का उपभोग किया जाना सुनिश्चित करेंगी, इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– यू0ओ0–51/दस–2010 दिनांक 23.12.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

आलोक कुमार
सचिव

संख्याः 2566/1/33–1–2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. महालेखाकर, उ0प्र0 लेखा एवं हकदारी (प्रथम), इलाहाबाद।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
8. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एंव पंचायतें, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
11. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0।
12. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
14. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
16. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
17. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
18. वित्त संसाधन (व्यय आयोग) अनुभाग/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(डी0एस0 श्रीवास्वत)
विशेष सचिव